श्री जय राज, प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड कैम्पा की कार्यकारी समिति की दि0 08.01.2019 को मंथन सभागार में आयोजित 20वीं एवं प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 के तहत नवगठित उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा) की कार्यकारी समिति की प्रथम बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति सदस्यों/प्रतिनिधियों का विवरण :

1. श्री सोनिप मल्लिक, मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड
2. श्री वी0के0 गांगटे (प्रतिनिधि–नोडल अधिकारी, राज्य वन विकास अभिकरण)
3. श्री सुरेन्द्र मेहरा, मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव)
4. श्री सुभाष चन्द्र, अपर सचिव--वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन
5. श्री राजेश वर्मा, संयुक्त निदेशक, वित्त विभाग
6. श्री कृष्ण सिंह, संयुक्त सचिव–राजस्व
7. श्री मनोज कुमार तिवारी, अपर सचिव–पंचायती राज
8. श्री कवीन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
9. श्री समीर सिन्हा, अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा एवं सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा।

विशेष आमंत्री

1. श्रीमती रंजना काला, प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं
2. डॉ0 धनन्जय मोहन, अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए, अध्यक्ष महोदय की अनुमति से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यकारी समिति की 20वीं एवं प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 के तहत नवगठित उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा) की कार्यकारी समिति की प्रथम बैठक की एजेण्डावार कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 के आलोक में कार्यकारी समिति का नये सिरे से गठन किया गया है, अतः सर्वप्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा पूर्व में गठित उत्तराखण्ड कैम्पा एवं नवगठित उत्तराखण्ड कैम्पा की समितियों की संरचना, प्राविधानों एवं नये नियमों के मुख्य बिन्दुओं पर समस्त उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया गया।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा समिति को कैम्पा अधिनियम के क्रियान्वयन विषयक प्रमुख प्राविधानों के विषय में निम्नानुसार अवगत कराया गयाः–

1. भारत सरकार की दिनांक 13 अगस्त, 2018 की अधिसूचना संख्या 11-100/2015-FC-(Vol-III) के अनुसार प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) दिनांक 30 सितम्बर, 2018 की तिथि से संपूर्ण भारतवर्ष में विधिवत लागू हो गया है।
2. अधिनियम की धारा 30(1) व 30(2) के प्राविधानों के तहत अधिनियम के प्रयोजन हेतु भारत सरकार द्वारा दिनांक 10 अगस्त, 2018 को 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियम, 2018' की अधिसूचना भी जारी की गई है।
3. अधिनियम की धारा 10 (1) के प्राविधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा दिनांक 14 सितम्बर, 2018 को अधिसूचना के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य के स्तर पर 'उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि और योजना प्राधिकरण' का गठन किया गया है।
4. धारा 4(1) में दिए प्राविधानों के अंतर्गत उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 1010/X-4-18/3(02)/2018 दिनांक 28 सितम्बर, 2018 के माध्यम से 'उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि' का गठन किया गया है।
5. प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम– 2016 तथा इसके क्रम में निर्गत नियमावली–2018 के मुख्य बिन्दुओं को भी समिति के समक्ष प्रकाश में लाया गयाः–

   (क) अधिनियम की धारा–18 (i) के अनुसार उत्तराखण्ड कैम्पा की वार्षिक कार्ययोजना प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में गठित कार्यकारी समिति द्वारा तैयार कर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में गठित संचालन समिति के स्तर से संस्तुति उपरांत, अंतिम अनुमोदन हेतु राष्ट्रीय कैम्पा प्राधिकरण की कार्यकारी समिति को प्रेषित करेगी। धारा–15 (i) अनुसार उत्तराखण्ड कैम्पा की संचालन समिति द्वारा संस्तुत वार्षिक कार्ययोजना को राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यकारी समिति द्वारा उचित संशोधन उपरान्त प्राप्ति की तिथि से तीन माह के अन्तर्गत स्वीकृत किया जायेगा।

   (ख) अधिनियम की धारा–5 (a) (i) के अनुसार उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि के गठन के उपरांत ऐड–हॉक कैम्पा, भारत सरकार के पास राज्य कैम्पा की विभिन्न मदो में कुल जमा/अवशेष धनराशि का 90 प्रतिशत, राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा धारा–4 (1) में गठित राज्य निधि (Public Account) में हस्तांतरित किया जायेगा।

   (ग) अधिनियम की धारा–4 (3) (iii) में उल्लेखित प्राविधान अनुसार अधिनियम लागू होने के उपरांत वन भूमि हस्तांतरण प्रकरणों के एवज में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा विभिन्न मदों में

जमा कराये जाने वाली धनराशि सीधे राज्य निधि में जमा की जायेगी। जिसका 10 प्रतिशत राष्ट्रीय प्राधिकरण को हस्तांतरित किया जायेगा।

(घ) अधिनियम, 2016 की धारा 11(2) के अंतर्गत उत्तराखण्ड कैम्पा की संचालन समिति में उत्तराखण्ड शासन द्वारा जनजाति मामलों के विशेषज्ञ/जनजाति समुदाय के प्रतिनिधि एवं धारा 11(3) के अंतर्गत कार्यकारी समिति में 02 गैर सरकारी संगठनों एवं 02 जिला स्तरीय पंचायती राज संगठनों के प्रतिनिधि एंवं एक जनजाति मामलों के विशेषज्ञ/जनजाति समुदाय के प्रतिनिधि को नामित किया जाना है, जिस हेतु प्रस्ताव शासन स्तर को प्रेषित किया गया है।

कार्यकारी समिति की बैठक के उपरांत तत्काल मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित उत्तराखण्ड कैम्पा की संचालन समिति की बैठक आयोजित की जानी है इसके दृष्टिगत अध्यक्ष कार्यकारी समिति/प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड द्वारा बैठक में उपस्थित शासन के प्रतिनिधि से, प्राथमिकता के आधार पर गैर सरकारी सदस्यों को नामित किये जाने की कार्यवाही की अपेक्षा की गई।

कार्यसूची कार्यकारी समिति 20.1:

दिनांक 19.03.2018 को सम्पन्न हुई उन्नीसवीं कार्यकारी समिति की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि एवं अनुपालनः–

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा दिनांक 19.03.2018 को आयोजित कार्यकारी समिति की उन्नीसवीं बैठक के कार्यवृत्त अनुसार लिए गये निर्णयों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या समिति के सदस्यगणों के समक्ष प्रस्तुत की गई। समिति द्वारा कार्यवृत्त का अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यसूची कार्यकारी समिति 20.2: वित्तीय वर्ष 2018–19 में स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष वित्तीय प्रगति

20.2.1 मा0 सदस्यगणों को अवगत कराया गया कि वर्ष 2018–19 में उत्तराखण्ड कैम्पा संचालन समिति द्वारा दिनांक 09.05.2018 को सम्पन्न 13वीं बैठक में ₹ 31830.00 लाख की वार्षिक कार्ययोजना अनुमोदित की गई गई थी। उत्तराखण्ड कैम्पा को वर्ष 2018–19 में एडहॉक कैम्पा, भारत सरकार से वर्तमान तक ₹ 30300.00 लाख की धनराशि प्राप्त हुई है।

20.2.2 अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष दिनांक 07.01.2019 तक विभिन्न कियान्वयन अभिकरणों को ₹ 10280.48 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है, जिसके सापेक्ष एम0आई0एस0 में दर्ज वित्तीय

प्रगति के अनुसार ₹ 3520.44 लाख की धनराशि का व्यय किया गया है, जो कि अवमुक्त धनराशि का 34% है। व्यय की प्रगति का घटकवार विवरण निम्नानुसार है:–

धनराशि लाख ₹

विवरण	क्षतिपूरक वनीकरण	कैट प्लान	एन0पी0वी0	अन्य	कुल योग
अवमुक्त धनराशि	3089.91	1214.06	5158.65	817.86	10280.48
व्यय धनराशि	964.16	175.52	2222.52	158.24	3520.44

समिति को वर्ष 2018–19 के अंतर्गत कैम्पा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधियों की प्रगति से निम्नानुसार अवगत कराया गया:–

20.2.3 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा समिति को कैम्पा गठन से वर्तमान तक कैम्पा की सर्वाधिक प्राथमिकता वाली गतिविधि **'क्षतिपूरक वनीकरण'** के संबंध में अवगत कराया गया कि क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रभागों को कुल आंवटित 21425.15 है0 लक्ष्यों के सापेक्ष वर्तमान तक 18576.81 है0 की प्रगति प्राप्त की गई है, जिसका वर्षवार विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया:–

वर्ष	वर्ष में आवंटित भौतिक लक्ष्य (हे0)	भौतिक प्राप्ति (हे0)
2011-2012	3972.52	3843.43
2012-2013	715.38	438.77
2013-2014	3080.84	2696.25
2014-2015	2078.00	2077.91
2015-2016	1432.90	1245.24
2016-2017	3155.01	2886.00
2017-2018	3476.51	3474.21
2018-2019	3514.00	1915.00
योग	**21425.15**	**18576.81**

समिति को अवगत कराया गया कि वर्तमान में क्षतिपूरक वनीकरण के लक्ष्यों में चारधाम एवं ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेलवे लिंक प्रोजेक्टों के अन्तर्गत संपादित किये जाने वाले क्षतिपूरक वनीकरण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है।

20.2.4 समिति को प्रदेश में संचालित विभिन्न कैट प्लानों, जिनका उद्देश्य जल विद्युत परियोजनाओं को बिजली उत्पादन हेतु गाद (Silt) रहित सतत जल की आपूर्ति करना है, की कैम्पा गठन से वर्तमान तक की अध्यतन कैट प्लानवार प्रगति से निम्नानुसार अवगत कराया गया :–

Name of CAT	Total Cost of Project	Released	Exp.	Progress % against released
1	2	4	5	6
Srinagar H.EP.	2176.45	1738.14	1420.61	82
Lata Tapovan	1621.76	842.61	679.44	81
Tapovan - Vishnugad	4329.85	2426.87	1876.44	77
Singoli -Bhatwari	1272.15	631.57	539.21	85
Phatta- Byung	894.69	519.44	402.75	78
Lakhwar H.EP.	8586.25	416.64	91.42	22
Vishnugad- Pipalkoti H.EP.	4707.40	1432.26	479.77	33
Vyasi H.E.P	1894.41	136.65	78.22	57
Bhyundar Ganga H.EP.	281.59	7.57	6.17	82
CATPMU		117.98	54.13	46
Total	**25764.55**	**8269.73**	**5628.16**	**68**

समिति के सदस्यों को अवगत कराया गया कि वर्ष 2018–19 की वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष विभिन्न कैट प्लानों हेतु 1444.36 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है, जिसके सापेक्ष वर्तमान तक 223.32 लाख की प्रगति प्राप्त हुई है, जो कि अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष लगभग 16 प्रतिशत है। प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड द्वारा कैट प्लान के अंतर्गत हुये अल्प व्यय पर असंतोष व्यक्त करते हुए, संबंधित क्रियान्वयन अभिकरणों को इस पर विशेष ध्यान देने एवं चालू वित्तीय वर्ष के लक्ष्यों को निर्धारित मानकों के अनुरूप समयान्तर्गत पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

20.2.5 समिति को अवगत कराया गया कि राज्य का अधिकांश भू--भाग वनआच्छादित है। राज्य में मृदा एव जल संरक्षण मा0 मुख्य मंत्री जी की प्राथमिकता है, जिसके अन्तर्गत कैम्पा द्वारा विगत दो वर्षों में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया गया। वर्ष 2017–18 में उत्तराखण्ड कैम्पा के अन्तर्गत विभिन्न क्षमताओं के 887 जलकुण्डों का निर्माण एवं वर्ष 2018–19 में 1272 जलकुण्डों का निर्माण कर क्रमशः लगभग 2.7 करोड़ लीटर व 5.0 करोड़ लीटर जल ग्रहण क्षमता विकसित की गई। जिसका विवरण समिति के समक्ष निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया:--

वर्ष	विभिन्न क्षमता के जलकुण्ड	2.5 लाख ली0	1 लाख ली0	50 हजार ली0	20 हजार ली0	योग	व्यय धनराशि (लाख ₹)
2017–18	संख्या	20	14	150	703	887	233.24
	जलग्रहण क्षमता (करोड़ ली0 में)	0.50	0.14	0.75	1.4	2.79	

2018–19	संख्या	42	44	407	779	1272	322.59
	जलग्रहण क्षमता (करोड़ ली0 में)	1.05	.44	2.03	1.55	5.07	
	जलग्रहण क्षमता (करोड़ ली0 में)	1.25	.50	2.25	2.00	6.00	

समिति अवगत हुई कि मृदा एवं जल संरक्षण मद के अंतर्गत मृत प्राय नदियों के पुर्नजीवन के उद्देश्य से वर्ष 2018–19 में रिवर फन्ट डेवलेपमैन्ट उपमद में अल्मोड़ा वन प्रभाग के अन्तर्गत रू0 500.00 लाख की प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वर्तमान तक लगभग 200 लाख की धनराशि से कोसी नदी के जीर्णोद्वार/उपचार संबंधी कार्य संपादित किये गये है। इसी प्रकार वर्ष 2018–19 में रू 153.50 लाख की धनराशि से 1511 है0 क्षेत्र में कन्टूर ट्रेंच का निर्माण कार्य तथा 262.13 लाख की धनराशि से 3770 चाल खाल व धारा नौलों का निर्माण कार्य किया गया है।

उपरोक्त से संतुष्ट होते हुए अध्यक्ष कार्यकारी समिति द्वारा अवगत कराया गया कि मृदा एवं जल संरक्षण गतिविधियों से एक ओर जहॉ जल ग्रहण की क्षमता विकसित होती है, वही दूसरी ओर वनाग्नि की भी रोकथाम होती है। साथ ही उनके द्वारा अगले वर्ष की कार्ययोजना में इस पर और अधिक ध्यान दिये जाने हेतु निर्देश दिये गये।

20.2.6 समिति द्वारा वर्ष 2018–19 के अंतर्गत कैम्पा निधि से अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष व्यय की धीमी प्रगति के कारणों की विस्तृत समीक्षा की गई। समिति को अवगत कराया गया कि अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय की अपेक्षित प्रगति के संबंध में समय–समय पर क्रियान्वयन इकाईयों को मुख्य कार्यकारी अधिकारी व प्रमुख वन संरक्षक, महोदय के स्तर से निर्देश जारी किये गये हैं।

प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड द्वारा कार्ययोजना को क्रियान्वित करने में फील्ड संबंधी व्यवहारिक कठिनाईयों एवं अपेक्षित प्रगति प्राप्त न होने संबंधी अन्य कारणों के संबंध में समिति को निम्नानुसार अवगत कराया गयाः–

(i) भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम–2016 दिनांक 30 सितम्बर 2018 की तिथि से लागू किया गया है। इसके क्रम में भारत सरकार द्वारा 10 अगस्त, 2018 को प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली–2018 तथा इस हेतु दिनांक 20 नवम्बर, 2018 अधिसूचित लेखाकरण प्रक्रिया निर्गत की गई है। समिति को अवगत कराया गया कि कैम्पा की नयी व्यवस्था 30 सितम्बर, 2018 से लागू होनी थी, जिस कारण कैम्पा निधि से संबंधित समस्त खातों को कुछ समय के लिए Freeze किया गया था। भारत सरकार द्वारा निर्गत लेखाकरण प्रक्रिया की नयी व्यवस्था के कार्यान्वयन का यह प्रारम्भिक वर्ष है, जिससे इसकी कार्यवाही में समय लग रहा है। इन कारणों से भी व्यय में कुछ कमी परिलक्षित हुई है।

(ii) प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड द्वारा समिति को यह भी अवगत कराया कि वन विभाग के अन्तर्गत वर्तमान में फील्ड में योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रथम पंक्ति के फील्ड स्टाफ की भारी कमी है। फील्ड स्तर के प्रभागीय वनाधिकारियों पर एक से अधिक कार्यालय का अतिरिक्त प्रभार है, जिसके

कारण भी कार्यों की गति पर विराम लग रहा है। समिति द्वारा इस संबंध में शासन के प्रतिनिधि से यह भी अनुरोध किया गया कि प्रभागों में प्रभागीय वनाधिकारियों की तैनाती हेतु प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही संपन्न की जाये।

(iii) अध्यक्ष–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा व्यय की प्रगति में गति लाने एवं वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण उपयोग करते हुए, निर्धारित मानकों के अनुरूप लक्ष्यों की शत–प्रतिशत प्राप्ति समयान्तर्गत सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित क्रियान्वयन अभिकरणों को कठोर निर्देश निर्गत किए जाने के निर्देश दियें गये।

कार्यसूची कार्यकारी समिति 20.3:वित्तीय वर्ष 2018–19 में किए गये अतिरिक्त क्षतिपूरक वनीकरण हेतु कार्योत्तर स्वीकृतिः

20.3.1 सदस्यगणों को अवगत कराया गया कि वार्षिक कार्ययोजना 2018–19 के अंतर्गत क्षतिपूरक वनीकरण मद में कुल ₹ 3739.70 लाख की धनराशि (वर्ष 2017–18 की इस मद में स्वीकृत अवशेष ₹ 718.20 लाख की धनराशि को सम्मिलित करते हुए) अनुमोदित की गई थी। इसके अंतर्गत 875 है0 अग्रिम मृदा कार्य हेतु ₹ 500 लाख की धनराशि स्वीकृत थी।

20.3.2 उत्तराखण्ड कैम्पा की 13वीं संचालन समिति की बैठक में निर्णय लिया गया था कि विगत वर्षों के अनुभव को देखते हुए, दो वर्षों में विभाजित पारम्परिक पद्धति से किए जाने वाले वृक्षारोपण कार्य के स्थान पर, यथासम्भव ए0एन0आर0 की प्रक्रिया अपनाई जाय, जिसके लिए तकनीकी दिशा–निर्देश निर्गत किए जाने हेतु वन विभाग को निर्देश दिये गये थे। वन विभाग द्वारा इस पर योजना तैयार किए जाने के उद्देश्य से तकनीकी समिति का गठन किया गया है, जो कि इराकी स्थलवार, भौगोलिक स्थिति, स्थानीय जलवायु अनुसार तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस पर अध्ययन उपरान्त रिपोर्ट उपलब्ध करवाएगी। समिति को अवगत कराया गया कि इस हेतु विभाग स्तर पर गठित समिति द्वारा ए0एन0आर0 संबंधी तकनीकी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है एवं इसमें कुछ और समय लगने की सम्भावना है। भारत सरकार के निर्देशानुसार क्षतिपूरक वनीकरण के लक्ष्यों को समयान्तर्गत पूर्ण किया जाना अति आवश्यक है एवं ये कार्य समयबद्ध प्रकृति के हैं, जिसके दृष्टिगत समिति द्वारा विभिन्न क्रियान्वयन अभिकरणों को पहले वर्ष अर्थात् वर्ष 2018–19 में 3000 है0 क्षेत्र में परम्परागत अग्रिम मृदा कार्य किए जाने एवं 500 है0 क्षेत्र में (कुमांऊ जोन–250 है0 एवं गढ़वाल जोन–250 है0) ए0एन0आर0 के माध्यम से वनीकरण कार्य करवाये जाने का निर्णय लिए गया। तत्पश्चात अगले वर्षों में इस हेतु गठित समिति से प्राप्त सुझावों/रिपोर्टों के आधार पर वनीकरण कार्य सम्पादित कराये जाये।

20.3.3 समिति को अवगत कराया गया कि प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड द्वारा दिए गये निर्देशानुसार चालू वित्तीय वर्ष के अंतर्गत क्रियान्वयन अभिकरणों को वर्तमान तक 3000 है0 के सापेक्ष 2984.45 है0 लक्ष्य आवंटित किए गये हैं। वित्तीय वर्ष 2018–19 में क्षतिपूरक वनीकरण कार्यों हेतु आवश्यक अवशेष ₹ 15 करोड़ की धनराशि को एन0पी0वी0 के अंतर्गत प्राविधानित धनराशि से समायोजन किया जायेगा। इस प्रकार वर्ष 2018–19 की घटकवार संशोधित वार्षिक कार्ययोजना निम्नानुसार होगी :–

क्षतिपूरक वनीकरण	कैट प्लान	एन0पी0वी0	अन्य	कुल योग (लाख ₹ में)
5239.70	4348.60	19989.56	2252.14	31830.00

समिति द्वारा तद्नुसार संशोधित वार्षिक कार्ययोजना 2018–19 का अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यसूची कार्यकारी समिति 20.4: नमामि गंगे परियोजना के तहत वृक्षारोपण कार्यों का कैम्पा मद से वित्त पोषण विषयक

20.4.1 मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा समिति के सदस्यों को नमामि गंगे परियोजना के तहत् वृक्षारोपण कार्यो का कैम्पा मद से वित्त पोषण किये जाने संबंधी भारत सरकार के पत्रांक 1–34/2012–CAMPA, दिनांक 29 अप्रैल, 2018 से अवगत कराया गया जिसमें भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि कैम्पा की वार्षिक कार्ययोजना में नमामि गंगे परियोजना के लक्ष्यों को भी सम्मिलित किया जाये। **(संलग्नक–1)**

20.4.2 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा सदस्यगणों को भारत सरकार के पत्रांक–F.No.12-4/2017-B.III(NAEB), दिनांक 5.12.2018 से भी अवगत कराया, जिसके द्वारा नमामि गंगें परियोजना के तहत वृक्षारोपण कार्यो को कैम्पा मद से वित्त पोषण किये जाने संबंधी दिनांक 28.11.2018 को भारत सरकार में हुयी बैठक का कार्यवृत्त निर्गत किया गया है। उक्त बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा भी प्रतिभाग किया गया, जिसमें उनके द्वारा राज्य का पक्ष रखते हुए भारत सरकार को अवगत कराया गया कि नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत यदि वित्त पोषण कैम्पा निधि से किया जाता है तो यह कैम्पा में उत्तराखण्ड राज्य की धनराशि का एक बहुत बड़ा अंश होगा, साथ ही उनके द्वारा अनुरोध किया गया था कि इसके लिए वित्त संसाधनों की उपलब्धता भारत सरकार से की जाय। भारत सरकार द्वारा निर्गत उपरोक्त बैठक के कार्यवृत्त में भी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा नमामि गंगे का वित्त पोषण कैम्पा निधि से न किये जाने हेतु राज्य की ओर से रखे गये पक्ष का उल्लेख किया गया है। **(संलग्नक–2)**

20.4.3 उल्लेखनीय है कि वन अनुसन्धान संस्थान द्वारा तैयार की गई नमामि गंगे परियोजना की डी0पी0आर0 अनुसार उत्तराखण्ड राज्य हेतु इसका सकल वित्तीय लक्ष्य रु0 885.91 करोड़ है, जिसमें से वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु प्रस्तावित वित्तीय लक्ष्य ₹ 223.97 करोड़ है।

20.4.4 समिति को प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के पत्रांक–ख 2811/13–2(2) दिनांक 20.04.2018 से भी अवगत कराया गया जिसमें उनके द्वारा भारत सरकार को लिखा गया है कि नमामि गंगे एक केन्द्र पोषित परियोजना है, अतः उचित होगा इसके लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता भारत सरकार से ही की जाए, इस परियोजना का कैम्पा से वित्त पोषण किया जाना उचित नहीं है।

कार्यकारी समिति द्वारा उक्त पर सम्यक् विचारोपरान्त निम्न दो बिन्दुओं पर बल दिया गयाः–

(i) नमामि गंगे परियोजना एक केन्द्र पोषित योजना है। वर्तमान में राज्य में संचालित केन्द्र पोषित योजनाओं में केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा क्रमशः 90 व 10 प्रतिशत के अनुपात में अंशदान दिया जाता है। यदि इसका वित्त पोषण कैम्पा से किया जाता है तो इसका पूरा वित्तीय

भार राज्य के संसाधनों पर पडेगा।

(ii) प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 के प्रयोजन हेतु भारत सरकार द्वारा दिनांक 10 अगस्त, 2018 को अधिसूचित प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियम, 2018 के नियम सं0–5 (4) (i) में उल्लेख किया गया है कि *"undertaking forest and wildlife conservation and other activities undertaken under other schemes of the Govt. for the purpose of part financing the scheme for completing left over works or complementary works of such schemes"* । इस प्रकार नमामि गंगे परियोजना का वित्त पोषण कैम्पा निधि से किया जाना भारत सरकार द्वारा प्रचलित नियमों के प्रतिकूल प्रतीत होता है।

अतः समिति द्वारा नमामि गंगे के अन्तर्गत वृक्षारोपण लक्ष्यों हेतु कैम्पा योजना से वित्त पोषण किये जाने के संबंध में असहमति व्यक्त की गई व इसे संचालन समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

कार्यसूची कार्यकारी समिति 20.5:उत्तराखण्ड कैम्पा में पदों के सृजन के सम्बन्ध में

20.5.1 समिति को अवगत कराया गया कि प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 11(4) के अंतर्गत उत्तराखण्ड कैम्पा की संचालन समिति एवं कार्यकारी समिति के कार्यों को संचालित करने हेतु निम्न पदों पर अधिकतम 5 वर्षों हेतु नियुक्ति प्रदान किए जाने का प्राविधान है:--

क्र0सं0	पदनाम	पदों की संख्या
1	संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी	01
2	वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी	01
3	उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी	01

उक्त से अवगत होते हुये समिति द्वारा प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड से अनुरोध किया गया कि उपरोक्त प्रतिनियुक्ति आधारित पदो पर, अधिकारियों की उपलब्धता अनुसार तैनाती की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

20.5.2 उपरोक्त के अतिरिक्त प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 11(5) के अंतर्गत कैम्पा की संचालन समिति एवं कार्यकारी समिति के कार्यों को सहायता प्रदान करने हेतु न्यूनतम सहायक वन संरक्षक स्तर के अधिकारी एवं अन्य अधिकारी नियुक्त करने तथा अधिनियम की धारा 18(iv) के अंतर्गत संचालन समिति को राज्य सरकार की पूर्व सहमति के आधार पर कार्यकारी समिति द्वारा सृजित पदों की अनुमति प्रदान करने का अधिकार है।

20.5.3 समिति को उत्तराखण्ड कैम्पा की संचालन समिति द्वारा पूर्व में उत्तराखण्ड कैम्पा के कार्यों के सुचारू सम्पादन हेतु सृजित पदों/कार्यरत पदों की वर्तमान स्थिति से निम्नानुसार अवगत कराया गया :–

क्र0सं0	पदनाम	पदों की संख्या	अभ्युक्ति
1	प्रबन्धक–पर्यवेक्षण एवं विश्लेषण	01	प्रतिनियुक्ति
2	प्रबन्धक–प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन	01	वाहय स्रोत/संविदा आधारित
3	सहायक प्रबन्धक–सूचना प्रौद्योगिकी	01	–तदैव–
4	लेखाधिकारी/वित्त अधिकारी	01	–तदैव–
5	लेखाकार	01	–तदैव–
6	वैयक्तिक सहायक/वैयक्तिक अधिकारी	01	प्रतिनियुक्ति
7	तकनीकी सहायक	01	प्रतिनियुक्ति
8	वरिष्ठ परियोजना सहायक	03	वाहय स्रोत/संविदा आधारित
9	परियोजना सहायक	04	–तदैव–
10	वाहन चालक	02	–तदैव–
11	अनुसेवक/पी0आर0डी0	03	–तदैव–
12	डाक रनर	01	–तदैव–

20.5.4 वर्तमान में नये प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 के लागू होने के फलस्वरूप धारा–11(4) में उल्लिखित पदों को सम्मिलित करते हुए उत्तराखण्ड कैम्पा के कार्यों के सुचारू रूप से सम्पादन हेतु पूर्व में स्वीकृत उपरोक्त पदों एवं निम्न पदों के सृजन का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया :–

क्र0सं0	पदनाम	पदों की संख्या	अभ्युक्ति
1	कोऑर्डिनेटर, गढ़वाल जोन (प्रतिनियुक्ति पर – सहायक वन संरक्षक स्तर के अधिकारी)	01	गढ़वाल मण्डल के अंतर्गत अवस्थित प्रभागों के वार्षिक कार्ययोजना का समय से संकलन, स्वीकृत ए0पी0ओ0 के अनुसार प्रगति का अनुश्रवण, क्षेत्रीय कार्मिकों के साथ निरन्तर समन्वय, कैम्पा एम0आई0एस0 एवं ई–ग्रीन वॉच प्रगति का अनुश्रवण इत्यादि।
2	कोऑर्डिनेटर, कुमांऊ जोन (प्रतिनियुक्ति पर – सहायक वन संरक्षक स्तर के अधिकारी)	01	कुमांऊ मण्डल के अंतर्गत अवस्थित प्रभागों के वार्षिक कार्ययोजना का समय से संकलन, स्वीकृत ए0पी0ओ0 के अनुसार प्रगति का अनुश्रवण, क्षेत्रीय कार्मिकों के साथ निरन्तर समन्वय, कैम्पा एम0आई0एस0 एवं ई–ग्रीन वॉच प्रगति का अनुश्रवण इत्यादि।
3	सहायक कोऑर्डिनेटर, गढ़वाल जोन (प्रतिनियुक्ति पर – वन क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी)	01	गढ़वाल मण्डल के अंतर्गत अवस्थित प्रभागों को क्षेत्रीय सहयोग, सूचनाओं का संकलन, एम0आई0एस0 एवं ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर समयान्तर्गत डाटा फीडिंग हेतु सहयोग, वार्षिक कार्ययोजना का समय से संकलन समन्वयक गढ़वाल को प्रदत्त दायित्वों में सहयोग एवं कैम्पा मुख्यालय द्वारा सौंपे गए अन्य दायित्वों का निर्वहन।
4	सहायक कोऑर्डिनेटर, कुमांऊ जोन (प्रतिनियुक्ति पर – वन क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी)	01	कुमांऊ मण्डल के अंतर्गत अवस्थित प्रभागों को क्षेत्रीय सहयोग, सूचनाओं का संकलन, एम0आई0एस0 एवं ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर समयान्तर्गत डाटा फीडिंग हेतु सहयोग, वार्षिक कार्ययोजना का समय से संकलन समन्वयक कुमांऊ को प्रदत्त दायित्वों में सहयोग एवं कैम्पा मुख्यालय द्वारा सौंपे गए अन्य दायित्वों का निर्वहन।
5	मानचित्रकार (प्रतिनियुक्ति पर)	01	वार्षिक कार्ययोजना में प्रस्तावित कार्यों का तकनीकी परीक्षण एवं कैम्पा

			मुख्यालय द्वारा सौंपे गए अन्य दायित्वों का निर्वहन।
6	जी0आई0एस0 एनालिस्ट (संविदा पर)	01	सेटेलाइट इमेजरी आधारित अनुश्रवण एवं समस्त स्थल विशिष्ट कार्यों का परीक्षण यथा–वनीकरण, निर्माण कार्य आदि। ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर सही पॉलीगन की प्रविष्टि एवं जांच सुनिश्चित करना। सम्बन्धित स्टाफ को प्रशिक्षित एवं क्षेत्रीय स्टाफ को सहयोग देना। ई–ग्रीन वॉच सम्बन्धी समस्त तकनीकी समस्याओं का निराकरण तथा कैम्पा मुख्यालय द्वारा सौंपे गए अन्य दायित्वों का निर्वहन।
7	बजट/क्षेत्रीय सहायक (संविदा पर)	01	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर बजट तैयार करना, राज्य स्तर पर तैयार की जाने वाली वार्षिक कार्ययोजना में योगदान, मदवार अवमुक्त धनराशि एवं स्वीकृति, प्राप्त मासिक लेखों का अध्ययन एवं प्राप्त विसंगतियों की रिपोर्टिंग, बजट सम्बन्धी कार्यों में योगदान एवं आवश्यकता पर फील्ड में कोर्डिनेटर/सहायक कोर्डिनेटर को पूर्ण सहयोग प्रदान करना तथा कैम्पा मुख्यालय द्वारा सौंपे गए अन्य दायित्वों का निर्वहन।

20.5.5 विस्तृत चर्चा उपरान्त समिति द्वारा उपरोक्त पर सहमति व्यक्त करते हुए चरणबद्ध तरीके से इस पर तैनाती किये जाने हेतु निर्णय लिया गया। यह सहमति बनी कि प्रथम चरण में प्रतिनियुक्ति आधारित पदो को विभाग के माध्यम से उपलब्ध करवाया जायेगा। समिति द्वारा प्रतिनियुक्ति पर कार्मिक उपलब्ध न होने की दशा में सेवानिवृत्त अधिकारियों को उपरोक्त पदो के सापेक्ष वांछनीय योग्यता के आधार पर 65 वर्ष की आयु तक तैनात किये जाने पर विचार करने हेतु अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया गया। समिति द्वारा कैम्पा कार्यों के प्रभावी मूल्यांकन एवं अनुश्रवण तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यालय को और सुदृढ़ बनाए जाने के दृष्टिगत वर्तमान में कार्यरत पदों व उपरोक्त नये प्रस्तावित पदों के सृजन हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

<u>कार्यसूची कार्यकारी समिति 20.6:प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि अधिनियम, 2016 के अंतर्गत गठित उत्तराखण्ड कैम्पा में वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों का प्रतिनिधायन</u> :–

20.6.1 समिति को अवगत कराया गया कि प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि अधिनियम, 2016 (2018 का 38) की धारा–19 (IX) के अंतर्गत उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण की कार्यकारी समिति, वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों के प्रतिनिधायन हेतु उत्तरदायी है। नवगठित प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि प्रबन्धन एवं योजना प्राधिकरण के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों/कार्मिकों को पूर्व की भांतिप्रचलित शासनादेशों के अनुसार समस्त सेवा लाभ देय होंगे। संविदारत अथवा सेवा प्रदाता के माध्यम से स्थापित कर्मचारी अनुबन्ध–पत्र में उल्लिखित शर्तों के अधीन होंगे।

20.6.2 उत्तराखण्ड प्राधिकरण के कार्यों के सुचारू रूप से सम्पादित किए जाने हेतु (पूर्व कैम्पा गठन की अधिसूचना दिनांक 08 नवम्बर, 2012 में प्रदत्त कार्यशक्ति एवं दायित्वों के अनुसार ही) निम्नानुसार वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार उत्तराखण्ड कैम्पा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्रतिनिधायित किए जाने प्रस्तावित हैं :–

(i) कैम्पा निधि का प्रबन्धन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा के प्रभार में होगा एवं

मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के आधार पर विभिन्न क्रियान्वयन अभिकरणों को धनराशि अवमुक्त करने हेतु अधिकृत होंगे एवं लेखों को स्वीकृत और ऑडिट करने का उत्तरदायित्व उनका होगा।

(ii) राज्य सरकार के बजट में प्राविधानित वार्षिक कार्ययोजना की धनराशि को आहरित किए जाने हेतु मुख्य आहरण–वितरण अधिकारी के रूप में कार्य एवं उत्तराखण्ड कैम्पा के समस्त बचत खातों में प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के तौर पर कार्य करना।

(iii) कैम्पा कार्यालय के प्रबन्धन हेतु समस्त आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय (पूंजीगत एवं राजस्व व्यय) जैसे–कार्मिकों का वेतन एवं अन्य कार्यालय प्रबन्धन व्यय हेतु अधिकृत।

(iv) मुख्य कार्यकारी अधिकारी लेखों/वाउचरों/बिल एवं अन्य अभिलेखों और भण्डार की जांच के साथ ही कैम्पा निधि से अवमुक्त राशि से किए गये कार्यों के आकस्मिक निरीक्षण, गुणात्मक और परिमाणात्मक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु अधिकृत होंगे।

(v) क्रियान्वयन अभिकरण स्तर पर लेखों के रखरखाव, निधि की आय और व्यय का उचित लेखा परीक्षण, सुव्यवस्थित लेखा पद्धति, आन्तरिक लेखा परीक्षण एवं नियंत्रण पद्धति को लागू करने हेतु अधिकृत।

(vi) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा के कार्यालय के अध्यक्ष रहेंगे, जो प्रभावकारी एवं प्रगुण पकड़ सुनिश्चित करेंगे तथा उसकी अपेक्षित कार्मिक के स्थापन की दिशा में संविदा/सेवादायी संस्था के माध्यम से नियोजित किए जाने हेतु पूर्ण शक्ति निहित होगी।

(vii) मुख्य कार्यकारी अधिकारी सम्बन्धित क्रियान्वयन प्रभागों के द्वारा निष्पादित अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के कार्यों की तथ्यात्मक क्षमता मूल्यांकन रिपोर्ट लिखेंगे तथा उनके नियंत्रक प्राधिकारियों को प्रेषित करेंगे, जिनके द्वारा उनके नियंत्रणाधीन अधिकारियों का कार्य क्षमता की समीक्षा करते समय उक्त क्षमता मूल्यांकन रिपोर्ट को संज्ञान में लिया जायेगा।

(viii) कार्यकारी समिति द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा को वित्तीय/प्रशासनिक मामलों में प्रदत्त/प्रतिनिधायित प्रशासनिक व वित्तीय अधिकारों को कैम्पा कार्यालय के सुचारु सम्पादन हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी के स्तर से अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारी को प्रतिनिधायित किया जाना।

समिति उक्त से अवगत हुई एवं उपरोक्त का अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यसूची कार्यकारी समिति 20.7:वित्तीय वर्ष 2019–20 की प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना

20.7.1 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वर्ष 2019–20 की वार्षिक कार्ययोजना के प्रस्तावित आकार को मध्यनजर रखते हुए उत्तराखण्ड सरकार के बजट में विभिन्न मदों में ₹ 27500 लाख की धनराशि के परिव्यय/प्राविधान हेतु उत्तराखण्ड शासन को अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है –

कम संख्या	लेखा शीर्षक	मद / उपमद का नाम	वर्ष 2019–20 का प्रस्तावित बजट (धनराशि लाख रु0)
1	2406-04-103-02-00	वानिकी तथा वन्यजीवन–वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास–राज्य प्रतिपूरक वन जमा–प्रतिपूरक वनीकरण जमा–**प्रतिपूरक वनीकरण, अतिरिक्त प्रतिपूरक वनीकरण तथा मृदा एवं जल संरक्षण**	4500.00
2	2406-04-103-03-00	वानिकी तथा वन्यजीवन–वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास–राज्य प्रतिपूरक वन जमा–प्रतिपूरक वनीकरण जमा–**वन भूमि का निबल वर्तमान मूल्य एवं दण्डित वन भूमि का निबल वर्तमान मूल्य**	15000.00
3	2406-04-103-04-00	वानिकी तथा वन्यजीवन–वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास–राज्य प्रतिपूरक वन जमा–प्रतिपूरक वनीकरण जमा–**कैट प्लान (जलागम क्षेत्र उपचार)**	3000.00
4	2406-04-103-05-00	वानिकी तथा वन्यजीवन–वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास–राज्य प्रतिपूरक वन जमा–प्रतिपूरक वनीकरण जमा–**समेकित जल एवं भूमि प्रबंधन कार्यक्रम**	2500.00
5	2406-04-103-07-00	वानिकी तथा वन्यजीवन–वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास–राज्य प्रतिपूरक वन जमा–प्रतिपूरक वनीकरण जमा–**अन्य वृक्षारोपण, संरक्षित क्षेत्र विकास, वृक्षों का पातन, चार दीवारी, अन्य–1 एवं अन्य–2**	1500.00
		योग–(क)	**26500.00**
6	2406-04-103-06-00	वानिकी तथा वन्यजीवन–वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास–राज्य प्रतिपूरक वन जमा–प्रतिपूरक वनीकरण जमा–**ब्याज**	1000.00
		योग–(ख)	**1000.00**
कुल प्रस्तावित बजट योग–(क + ख)			**27500.00**

20.7.2 समिति द्वारा 2019–20 हेतु प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना के मुख्य घटकों एवं उनके उपघटकों के अंतर्गत प्रस्तावित समस्त गतिविधियों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में समिति द्वारा वर्ष 2019–20 की कार्ययोजना के निरूपण से पूर्व गत वर्षों में कैम्पा के अंतर्गत क्रियान्वयन अभिकरणों द्वारा किए गए व्यय के संबंध में भी जानकारी ली गई। जिसके क्रम में समिति को गत वर्षों की स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष कैम्पा निधि से क्रियान्वयन अभिकरणों को अवमुक्त धनराशि एवं उसके सापेक्ष व्यय की स्थिति से निम्नानुसार अवगत कराया गया:-

वर्ष	ए0पी0ओ0	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि (लाख में)
2015–16	26630.86	18511.78	15387.56 (83%)
2016–17	34680.00	12212.55	10445.15 (86%)
2017–18	31235.00	11182.50	8766.05 (79%)
2018–19	31830.00	10280.48	3520.44 (34%) (दि0 07.01.2019 की स्थिति)

20.7.3 क्रियान्वयन अभिकरणों के व्यय की प्रगति सम्बन्धी पूर्व के अनुभवों को दृष्टिगत रखते हुए समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि वित्तीय वर्ष 2019–20 की प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना बहुत महत्त्वकांक्षी प्रतीत होती है। इसके दृष्टिगत समिति द्वारा वार्षिक कार्ययोजना का आकार सीमित किये जाने का निर्णय लिया गया।

20.7.4 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड कैम्पा में क्षतिपूरक वनीकरण के वैकलॉक को पूर्ण किये जाने हेतु पूर्व में भारत सरकार को प्रेषित लक्ष्यों के आधार पर ही बिन्दु संख्या 20.2.3 अनुसार गत वर्षो में धनराशि दी गई है। एवं इसी आधार पर वर्ष 2019–20 की कार्ययोजना के अंतर्गत क्षतिपूरक वनीकरण हेतु 3500.00 है0 के लक्ष्य प्रस्तावित किये गये हैं। साथ ही अवगत कराया गया कि वर्तमान में क्षतिपूरक वनीकरण के लक्ष्यों में चारधाम एवं ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेलवे लिंक प्रोजेक्टों के अन्तर्गत संपादित किये जाने वाले क्षतिपूरक वनीकरण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है।

20.7.5 मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में मृदा एव जल संरक्षण को प्राथमिकता पर लिया जा रहा है। इसके अन्तर्गत कैम्पा द्वारा विगत दो वर्षों में बिन्दु संख्या 20.2.5 अनुसार महत्त्वपूर्ण योगदान दिया गया है, इसी क्रम में वर्ष 2019–20 में इस पर और अधिक ध्यान देते हुए ₹ 450 लाख की लागत से विभिन्न क्षमताओं के 1600 जलकुण्डों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिससे लगभग 6.0 करोड़ लीटर जल ग्रहण क्षमता विकसित होने का अनुमान है।

मृदा एवं जल संरक्षण के अंतर्गत नदियों को पुर्नजीवित किये जाने के उददेश्य से वर्ष 2018–19 में बिन्दु संख्या 20.2.5 अनुसार कोसी नदी का उपचार कार्य किये जाने के फलस्वरूप, समिति द्वारा इसी आधार पर वर्ष 2019–20 की कार्ययोजना के अन्तर्गत भी रिवर फन्ट डैवलपमैन्ट मद में कोसी, रिस्पना व अन्य नदियों के जीर्णोद्वार हेतु ₹ 500.00 लाख की धनराशि का प्राविधान किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई।

इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2019–20 के अंतर्गत सूख रहे जल स्रोतों के पुनरोद्वार, कन्टूर ट्रेन्चों के निर्माण इत्यादि अन्य कार्यों हेतु मृदा एवं जल संग्रहण मद में उपरोक्त गतिविधियों को सम्मिलित करते हुए कुल ₹ 1800.00 लाख की धनराशि का प्राविधान किये जाने का निर्णय लिया गया।

20.7.6 समिति द्वारा बुग्यालों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। समिति को अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड का भौगोलिक क्षेत्रफल 53483 वर्ग कि0मी0 है, जिसमें 71.01 प्रतिशत अर्थात 37999.6 वर्ग कि0मी0 वनों का क्षेत्रफल है। वर्तमान में उत्तराखण्ड में विद्यमान बुग्यालों का अनुमानित क्षेत्रफल 4305 वर्ग कि0मी0 है। वनों के क्षेत्रफल के सापेक्ष राज्य में बुग्यालों का क्षेत्रफल लगभग 11.5 प्रतिशत है। इसमें स्थानीय लोगों की काफी निर्भरता है। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि बुग्यालों के संरक्षण एवं संवर्द्धन पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके दृष्टिगत वर्ष 2019–20 की कार्ययोजना में बुग्यालों के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु ₹ 400.00 लाख की धनराशि का प्राविधान किये जाने का निर्णय लिया गया।

20.7.7 राज्य में मानव वन्यजीव संघर्ष के रोकथाम दृष्ट्रिगत बंन्दर जनित समस्या के निवारण हेतु उत्पाती बन्दरों को पकड़ने, उनका बन्ध्याकरण करने, बन्दरबाड़ा निर्माण आदि कार्यों हेतु वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत 400 लाख का प्राविधान किये जाने का निर्णय लिया गया।

20.7.8 उक्त के आलोक में समिति द्वारा विस्तृत विचार विर्मश उपरांत वर्ष 2019–20 हेतु क्षतिपूरक वनीकरण मद में प्रस्तावित धनराशि रु0 4500.00 लाख को यथावत रखते हुए अन्य मदों/उपमदों की धनराशि में कार्यों की महत्ता एवं आवश्यकतानुसार संशोधन करते हुए वार्षिक कार्ययोजना का कुल आकार रु0 17500.00 लाख रखे जाने पर सहमति बनी।

20.7.9 वर्ष 2019–20 की प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना के विभिन्न बिन्दुओं एवं गतिविधियों पर चर्चा उपरान्त भारत सरकार द्वारा निर्गत लेखा प्रक्रिया में प्राविधानित निम्नानुसार **(क)** लेखाशीर्षकों के अंतर्गत विभिन्न मदों/उपमदों के अन्तर्गत कुल रु0 17500.00 लाख की धनराशि का प्राविधान किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया –

कम संख्या	लेखा शीर्षक	मद / उपमद का नाम	वर्ष 2019–20 का प्रस्तावित बजट (धनराशि लाख रु0)
1	2406-04-103-02-00	सी0ए0 (प्रतिपूरक वनीकरण)	4500.00
2	2406-04-103-03-00	एन0पी0वी0 (निवल वर्तमान मूल्य)	7700.00
3	2406-04-103-04-00	कैट प्लान (जलागम क्षेत्र उपचार)	1500.00
4	2406-04-103-05-00	समेकित जल एवं भूमि प्रबंधन कार्यक्रम	2000.00
5	2406-04-103-07-00	अन्य वृक्षारोपण	800.00
		योग–(क)	**16500.00**
6*	2406-04-103-06-00	राज्य प्रतिपूरक वन जमा–प्रतिपूरक वनीकरण जमा–ब्याज	1000.00
		योग–(ख)	**1000.00**
कुल बजट योग–(क + ख)			**17500.00**

* प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली–2018 के नियम–06 अनुसार राज्य निधि में जमा राशि पर उपार्जित ब्याज का उपयोग निम्नानुसार गतिविधियों के लिए किया जाना है:–

(क) राज्य निधि से अंतरित ब्याज का साठ प्रतिशत वन और वन्यजीव के संरक्षण और विकास के लिए निम्नानुसार किया जायेगा।

(i) बढ़ी हुई मजदूरी दरों पर क्षतिपूर्ति वनीकरण, आवाह क्षेत्र उपचार स्कीम की संवृद्धि व वन्यजीव प्रबंधन स्कीम संवृद्धि लागत हेतु। अर्थात उपरोक्त मदों में अनुसूचित दरों में हुई वृद्धि के फलस्वरूप बढ़ी लागत की संपूर्ति हेतु।

(ii) राज्य प्राधिकरण के सदस्यों और कर्मचारियों, नियमित और संविदात्मक, दोनों को वेतन और भत्तों हेतु।

(ख) राज्य निधि से अंतरित ब्याज का चालीस प्रतिशत राज्य प्राधिकरण के अनावर्ती और आवर्ती व्यय के लिए खर्च किया जायेगा।

(i) कार्यालय स्थापना के प्रबंधन हेतु।

(ii) राज्य प्राधिकरण के लिए कम्प्यूटरों और पेरिफेरल और उनके अनुरक्षण हेतु।

(iii) राज्य प्राधिकरण के अधिकारियों ओर पदधारियों के उपयोग के लिए स्टाफ कार किराये पर लेने, राज्य प्राधिकरण की स्थापना व राज्य प्राधिकरण के प्रबन्धन तथा अन्य आकस्मिक व्यय हेतु किया जायेगा।

उक्तानुसार वर्ष 2019–20 की गतिविधियों पर विचार विमर्श उपरांत वार्षिक कार्ययोजना 2019–20 का निम्नानुसार गतिविधिवार अनुमोदन प्रदान किया गया।

UTTARAKHAND CAMPA :: APO 2019 -20 *(Amount in lakh)*				
S. No	Head	Unit	APPROVED BY E.C.	
			Phy	Fin
COMMITTED ACTIVITIES				
	COMPENSATORY AFFORESTATION			
1	Advance Soil Work - CA & ANR (500 hac.)	Rs. 75000/ ha	3500	2620.00
2	CA Plantation against special projects - (All weather road , Railway link road)	Rs. 50000/ha	500	250.00
3	Plantation - CA	Rs. 26000/ ha	3000	780.00
4	Maintenance (Plantation & other)	Rs. 10000/ha	8500	850.00
	Total In Compensatory Afforestation			**4500.00**
	CATCHMENT AREA TREATMENT PLANS			
	CAT PLAN			
1	Tapovan-Vishnugad	LS	1	172.20
2	Lata-Tapovan	LS	1	22.97
3	Singoli-Bhatwari	LS	1	4.45
4	Phatta-Byung	LS	1	23.95
5	Srinagar H.E.P.	LS	1	56.17
6	Lakhwar H.E.P.	LS	1	700.00
7	Vishnugad-Pipalkoti	LS	1	490.00
8	CAT PMU	LS	1	30.26
	Total In C.A.T. Plan			**1500.00**
	OTHER SPECIFIED ACTIVITIES			
	Road Side Plantation			
1	Advance Soil Work for Road Side Plantation	ha	20	13.60
2	Plantation - Road Side Plantation	ha	1409	49.28
3	Maintenance - Road Side Plantation	ha	500	25.87
	Sub-Total			**88.75**
	Gapfilling Plantation			
1	Advance Soil Work for Gap Filling Plantation	ha	28.39	200.00
2	Plantation - Gap Filling Plantation	ha	3627	15.92
3	Maintenance - Gap Filling Plantation	ha	700	53.96
	Sub-Total			**269.88**
	Dwarf Species Plantation			

1	Advance Soil Work for Dwarf Species Plantation	ha	107.93	68.28
2	Dwarf Species Plantation	ha	35792	21.84
3	Maintenance of Nursery/Plantation for Dwarf Species	Nos.	6500	30.00
4	Nursery Raising for Dwarf Species Plantation	Nos.	300000	21.25
	Sub-Total			**141.37**
	Muck Disposal			
1	Muck Disposal Related Works	LS	0.00	0.00
	Sub-Total		**0.00**	**0.00**
	Work against Collection of minor Minerals			
1	River Training Works	Nos.	200	300.00
	Sub-Total			**300.00**
	Total In Other Specified Activity			**800.00**
	NET PRESENT VALUE			
	Forest Protection, Infrastructure and Human Resource Development			
1	Boundary Pillars (New)	Nos.	1190	50.00
2	Construction of New FG/Forester/Mali Chowki	Nos	75	600.00
3	Construction of High Altitude Patrolling Shelter & Dev. Of SFPG at sensitive areas	Nos.	60	120.00
4	Fire Arms Purchase	Nos.	30	100.00
5	Forest Fire Management	LS	LS	500.00
6	Modernizing of Strategic Barrier	Nos	10	50.00
7	Protection of Bugyals through Local Community	ha	150	400.00
8	Renovation of Existing Building (upto range level)	Nos	100	200.00
9	Repair of Bridle Path/Forest Road/ inspection paths	Km	1000	500.00
10	Survey & Demarcation	Ha	25000	25.00
	Sub-Total			**2545.00**
	Strengthening of Wildlife Management			
1	Anti Poaching related activities	LS	LS	100.00
2	Construction & Maint. of rescue / rehabilitation center (Subject to meeting all statutory requirements)	Nos.	4	400.00
3	Creation and maintenance of drinking water holes for wild animals	Nos.	210	100.00
4	Elephant Trenches	Km	150	150.00
5	Estimation of wildlife populations	Nos.	10	50.00
6	Fencing (Solar , Thorny etc)	Km	40	200.00
7	High Altitude and Long Distance Patroling	Km.	673	100.00
8	Human Wildlife Conflict Resolution (Monkey Catching, Sterilization, Monkey Cages)	Nos.	LS	400.00
9	Habitat Improvement / Lantana Removal	ha	3000	200.00
10	Lantana Removal Maintenance	ha	310	100.00

11	Provision of food for wild animals at rescue / rehabilitation center	Nos.	4	50.00
12	Stone/Concrete walling at Critical boundaries (Wild boar proof wall)	KM	25	200.00
13	Strengthening of wildlife conservation	LS	LS	200.00
14	Wildlife Veterinary Care / Postmortem Expense	Nos.	2	50.00
15	Urgent WL activities and emergencies etc.	LS	0	100.00
	Sub Total			**2400.00**
	Forestry Research			
1	Modern seed storage facility for important nurseries	Nos.	*6*	34.40
2	Collaborative Research	Nos.	1	11.65
3	Demonstration plots & trails of need based initiatives	Nos.	2	83.50
4	Development of Nursery Techniques	LS	LS	8.00
5	Establishment/Maintenance of Seed Plots/Orchards	Nos.	1	3.70
6	Strengthening of Research Cell & Up-gradation of laboratory	Nos.	2	34.20
	Sub Total			**175.45**
	Trainings and Capacity building			
1	Training workshop and Capacity Building	Nos.	100	100.00
	Sub Total			**100.00**
	Other Activities			
1	Operational Expenses	LS	LS	100.00
2	Contingency at PCCF(HoFF) level	LS	LS	200.00
3	Field support equipments to facilitate front line staff	Nos	500	50.00
4	ASW for Bamboo, Ringal and other Natural Grasses	Nos.	100	54.01
5	Bamboo Nursery and Bambusetum and their maintenance	Nos.	4	10.48
6	Creation and maintenance of herbal garden, Development of Medicinal Plants	Hac.	90	53.34
7	High Tech. Equip. for Enhanancement of Enforcement	Nos	18	50.00
8	Automation and Strengthening of Department by implementation of Information and Communication Technology	LS	LS	100.00
9	Monitoring And Evaluation	LS	LS	100.00
10	Non-Conventional and Renewable Energy (Solar/Wind etc.)	Nos	50	50.00
11	Public Awareness & Publicity Extention	LS	LS	50.00
12	Provisioning of Biodiversity Conservation	Nos.	0	0.00
13	Revision of working plans and wildlife management plans	Nos.	2	239.90
14	Strengthening of clusters of Bamboo, Ringal, Natural Fiber and grasses	Nos.	49	3.19

15	Strengthening of training institute	Nos.	6	60.00
16	Support to Project Management Unit (PMU)	Nos.	1	10.00
	Sub-Total			**1130.92**
	Plantation under NPV			
1	Community Plantation and Mobilization (Harela / Van Mahotsav etc.) - No.	LS	LS	100.00
2	Raising of Wild Fruit plants in middle Altitute and Mehal Top.	LS	LS	150.00
3	Advance Soil Works - Oak Plantation	ha	0	0.00
4	Advance Soil Works - Deodar Plantation	ha	0	0.00
5	Assisted Natural Regeneration (A.N.R)	ha	2000	155.00
6	Maintenance - Deodar Plantation	ha	114	10.76
7	Maintenance - Oak Plantation	ha	167	14.70
8	Maintenance of Deodar Nursery	Nos.	60399	2.48
9	Maintenance of Oak Nursery	Nos.	66753	2.97
10	Model Plantation	ha	0	0.00
11	Nursery Raising - Deodar Plants	Nos.	165825	12.72
13	Other Plantations under NPV	Nos.	4000	100.00
14	Plantation - Deodar Plantation	ha	0	0.00
15	Plantation - Oak Plantation	ha	0	0.00
	Sub-Total			**548.63**
	STRENGTHENING OF VAN PANCHAYATS			
	Strategic Planning and Strengthening of Van Panchayats	LS	LS	1000.00
	Sub-Total			**1000.00**
	Total NPV			**7900.00**
	Soil And Water Conservation			
1	Contour Trenches	ha	2485	200.00
2	Creation of water bodies	Nos.	1600	450.00
3	Maintenance of existing water Bodies	Nos.	175	100.00
4	Rejuvenation of Water Sources (Dhara, Naula)	Nos.	350	250.00
5	River front development (Koshi, Rishpna & other rivers-catchment area treatment part only,)	Nos.	LS	500.00
6	Soil & Water Conservation Measures (Chal-Khal, Chackdam, Percolation pit)	Nos.	480	300.00
7	***Total- Soil And Water Conservation***			**1800.00**
	Total			**16500.00**

	Activities/works proposed under interest accrued on State Fund			
1	CAMPA Management (Salaries & Allownces of CAMPA Staff & other Office exp)	LS	LS	200.00
2	To offset the incremental cost of CA, CAT Plan, Wildlife management plan at the increased wage rates	LS	LS	750.00
3	Other Contingencies for management of CAMPA Office	LS	LS	50.00

	Total			1000.00
	Total APO 2019-20			17500.00

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न बिन्दुओं पर भी समिति के समक्ष चर्चा की गई एवं सम्यक विचारों उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

- प्रमुख वन संरक्षक एवं अध्यक्ष–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि कैम्पा के अन्तर्गत संपादित किये जाने वाले कार्य विशिष्ट प्रगति के है अतः इन्हें पूर्ण सावधानी के साथ क्रियान्वित किया जाये। समस्त कार्यों को नये प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 एवं नियमावली, 2018 में निहित प्राविधानों के अनुसार ही समयांर्तगत क्रियान्वयन किया जाये। कार्यों को नियमावली में उल्लिखित अनुमन्य व प्रतिबन्धित गतिविधियों की सूची अनुसार अनिवार्य रूप से ध्यान में रखकर ही सम्पादित किया जाय, अर्थात् निर्धारित मानकों से इतर कोई भी कार्य सम्पादित न किये जायें। इस हेतु समस्त क्रियान्वयन अभिकरणों को स्पष्ट दिशा–निर्देश जारी किये जायें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की अनियमितता/भिन्नता की स्थिति न उत्पन्न होने पाये।
- प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा कैम्पा के अन्तर्गत संपादित विभिन्न गतिविधियों में सबसे महत्त्वपूर्ण एवं समयवद्ध गतिविधियों में क्षतिपूरक वनीकरण तथा कैट प्लान संबंधी कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इन्हें मानकों के अनुरूप समयान्तर्गत संपादित किये जाने हेतु निर्देश दिये गये। इनके अन्तर्गत संपादित किये जाने वाले कार्य पूर्ण रूप से स्थल विशिष्ट कार्य है, जो कि पूर्व चयनित स्थल पर ही संपादित किये जाने है, अतः क्रियान्वयन अभिकरण इस बात का अनिवार्य रूप से ध्यान रखे कि वन भूमि हस्तांतरण प्रकरणों के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तो के अधीन चयनित/निर्धारित स्थलों तथा माप दण्डों के अनुसार ही इन मदों के अन्तर्गत समस्त कार्य संपादित किये जाये। संचालित कैट प्लानों हेतु तैयार माईक्रोप्लान एवं अनुमोदित डी0पी0आर0 के इतर कोई कार्य कदापि न कराये जायें।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि कैम्पा के अंतर्गत वन रक्षक चौकी एवं अन्य निर्माण कार्यों हेतु जो धनराशि प्राविधानित/आवंटित की जा रही है, वह वर्तमान में वृत्तों की निर्धारित अनुसूचित दरों के आधार पर की जा रही है। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा शासन स्तर से निर्गत शासनादेश के सम्बन्ध में भी समिति को अवगत कराया गया, जिसमें उल्लेख किया गया है कि विभाग के रु0 5 लाख से 10 करोड़ तक के समस्त निर्माण कार्य कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से करवाए जायें। इस क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 के अंतर्गत कतिपय प्रभागों द्वारा कृषि विपणन बोर्ड द्वारा चौकी निर्माण हेतु प्राकलित धनराशि (लगभग रु0 12 लाख से 16 लाख) के आधार पर अपनी मांग कैम्पा को प्रेषित की गई, जो कि कैम्पा के निर्धारित दरों (रु0 8 लाख प्रति चौकी) से लगभग दोगुनी है। उक्त के सम्बन्ध में अध्यक्ष–कार्यकारी समिति/प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड को भी अवगत कराया गया है, जिसे पुनः समिति के समक्ष भी रखा गया। समिति से विचार–विमर्श उपरान्त इस पर निर्णय लिया गया कि कैम्पा के कार्य विशिष्ट प्रकृति के है, अतः इन्हें क्रियान्वयन अभिकरणों द्वारा निर्धारित कार्यदायी संस्था अथवा खुली

निविदा अथवा विभागीय रूप से करवाये जाने का विकल्प होगा।

- प्रमुख वन संरक्षक महोदय द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि मा0 मुख्य मंत्री जी की योजनाओं को विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी अधिक ध्यान देते हुए, वार्षिक कार्ययोजना में इन गतिविधियों को प्राथमिकता पर स्थान दिया गया है। कैम्पा के अन्तर्गत संपादित की जाने वाली समस्त गतिविधियों को समयान्तर्गत निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण करने हेतु और अधिक प्रयास सुनिश्चित किये जाये, ताकि इसके ठोस परिणाम दृष्टिगोचर हो सकें।

कार्यसूची कार्यकारी समिति 20.8: अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से :–

वित्तीय वर्ष 2019–20 से कैम्पा का बजट राज्य बजट के माध्यम से प्राप्त होना है, इस हेतु समस्त कार्यवाहियां/तैयारियां समयान्तर्गत कर ली जाएं, ताकि वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से ही (01 अप्रैल, 2019 से) राज्य कैम्पा का कार्य सुचारू रूप से सम्पादित हो सके।

बैठक के अन्त में उपस्थित समस्त सदस्यगणों का धन्यवाद करते हुए बैठक का समापन किया गया।

(डॉ॰ समीर सिन्हा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखंड कैम्पा।

अनुमोदित

(जय राज)
अध्यक्ष–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा
एवं प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड